क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ
(શ્રમ અન રાજગાર મત્રાલય, ભારત સરકાર)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email : ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in

सत्यमेव जयते

ક.રા.બી.નિ હોસ્પિટલ, અંકલેશ્વર,
પ્લોટ નં.H3012, 500 કવાતર પાસે,
અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लाट स. H3012,
500 क्वाटर के पास, अकलेश्वर, जो.भरूच
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500 Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Website : www.esic.gov.in

375/अ/49/2019/क.रा.बी.नि./अंक/फ़ाइल-2 10-05-2025

आदेश

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम ने यह आदेश किया है कि **क.रा.बी.निगम अस्पताल अंकलेश्वर** की **राजभाषा शाखा, प्रशासन शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा, नकद (रोकड़) शाखा तथा सामान्य शाखा** में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें **हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त** है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से **टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिन्दी का प्रयोग करेंगे।**

उपर्युक्त के दृष्टिगत कथोक्त पाँचों शाखाओं नामतः **राजभाषा शाखा, प्रशासन शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा, नकद (रोकड़) शाखा तथा सामान्य शाखा** के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वे मुख्यालय से प्राप्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करें।

Digitally signed by
LILADHAR RAMDAS VANDIKAR
Date: 10-05-2025 12:23:20

(डॉ एल.आर.वंडीकर)
चिकित्सा अधीक्षक

सेवा में,
1. सभी संबंधित शाखा अधिकारी/शाखाएं, क.रा.बी.नि अस्पताल, अंकलेश्वर को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु|
2. नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय प्रति।
3. क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर की वेबसाइट पर उपलोड करने हेतु।

<u>प्रतिलिपि :</u>
संयुक्त निदेशक (राजभाषा),कर्मचारी राज्य बीमा निगम,मुख्यालय,नई दिल्ली को सूचनार्थ|